रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-20072026-274637
CG-KA-E-20072026-274637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3667] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948
No. 3667] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3829(अ).— जबकि केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) की अधिसूचना S.O.721(E), तारीख 11.02.2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी और जिसे रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2, खंड 20A के तहत जारी किया गया था, उसके द्वारा रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी ने कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में "मैसूरु-चामराजनगर खंड पर नंजनगुड-चामराजनगर स्टेशनों के बीच कवलंडे हॉल्ट स्टेशन पर प्रस्तावित नए क्रॉसिंग स्टेशन के निर्माण" के लिए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित किया था। और चूँकि उक्त नोटिफ़िकेशन का विवरण "प्रजावाणी और जनमित्र" (तारीख: 11-03-2026) में रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 2, क्लॉज़ 20A के तहत प्रकाशित किया गया है; और चूँकि सक्षम अधिकारी को धारा 2, क्लॉज़ 20D के तहत आपत्तियाँ मिली हैं, जिन पर विचार किया गया और उनका उचित रूप से निपटारा किया गया है।

अब, सक्षम अधिकारी की उक्त रिपोर्ट मिलने पर और रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 2, क्लॉज़ 20E द्वारा मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी इसके द्वारा यह घोषणा करता है कि उक्त शेड्यूल में बताई गई ज़मीन को ऊपर बताए गए मकसद के लिए अधिग्रहित किया जाना चाहिए;

और इसके अलावा, रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 2, क्लॉज़ 20E के तहत, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी इसके द्वारा यह घोषणा करता है कि ऑफिशियल गज़ट में इस नोटिफ़िकेशन के प्रकाशित होने पर, उक्त शेड्यूल में बताई गई ज़मीन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में आ जाएगी और वह सभी तरह के भार से मुक्त होगी।

शेड्यूल

अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन का संक्षिप्त विवरण (जिस पर कोई ढांचा हो भी सकता है और नहीं भी), जो मैसूरु-चामराजनगर सेक्शन पर नंजनगुड-चामराजनगर स्टेशनों के बीच कवलंडे हॉल्ट स्टेशन पर प्रस्तावित नए क्रॉसिंग स्टेशन के लिए प्रस्तावित विशेष रेलवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है।

गांव: चिक्का कवलंदे				**होबली: दोड्डा कवलंदे**		
तालुक: नंजनगुड				**जिला: मैसूर**		
क्रमांक	**सर्वे नंबर**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**अधिग्रहण की सीमा (ए-जी)**	**क्षेत्रफल हेक्टेयर में**	**लाभार्थी के नाम**
1	161/1ए	शुष्क भूमि	कृषि	0-13 जी	0.1316	नागलंबिके, महादेवस्वामी की पत्नी और अन्य
2	161/1बी	शुष्क भूमि	कृषि	0-15 जी	0.1518	महेश, स्वर्गीय मल्लाप्पा के एस के पुत्र
3	161/2बी	शुष्क भूमि	कृषि	0-13 जी	0.1316	महादेवय्या, स्वर्गीय मल्लिकार्जुनैया के पुत्र और अन्य
4	161/3	शुष्क भूमि	कृषि	0-17 जी	0.1720	सिकंदर खान, स्वर्गीय अहमद खान के पुत्र
5	162/1	शुष्क भूमि	कृषि	0-32 जी	0.3238	महादेवम्मा , मालियाप्पा की पत्नी, सिद्दप्पा , मल्लप्पा के पुत्र
6	162/2	शुष्क भूमि	कृषि	0-13 जी	0.1316	सिकंदर खान स्वर्गीय अहमद खान के पुत्र
7	162/4	शुष्क भूमि	कृषि	0-11 जी	0.1113	सिकंदर खान , स्वर्गीय अहमद खान के पुत्र
8	162/5	शुष्क भूमि	कृषि	0-10 जी	0.1012	पुट्टातायम्मा, स्वर्गीय पी. कांतराज की पत्नी दीपगोपी , स्वर्गीय कांतराज के पुत्र मोहन एम. के, स्वर्गीय कांाांतराज के पुत्र शमिता.एस ,स्वर्गीय भास्कर.के की सुपुत्री

9	164	शुष्क भूमि	कृषि	0.01 जी	0.0101	मंसूर हुसैन ,स्वर्गीय लतीफ के पुत्र
10	165/3	शुष्क भूमि	कृषि	0-18 जी	0.1822	मदैया, पुट्टय्या के पुत्र
11	165/2	शुष्क भूमि	कृषि	0-14 जी	0.1416	बसावा ,मनिबीलू के पुत्र
12	165/4	शुष्क भूमि	कृषि	0-25 जी	0.2530	नांजा , कट्टेमाडा के पुत्र
13	165/7	शुष्क भूमि	कृषि	0-13 जी	0.1316	महादेवय्या, देवहरसय्या के पुत्र
14	166/1	शुष्क भूमि	कृषि	0-01 1/2जी	0.0151	करीमल्लय्या , मल्लय्या के पुत्र
15	178	शुष्क भूमि	कृषि	0-30 जी	0.3035	पुट्टमदम्मा , स्वर्गीय पुट्टमदय्या की पत्नी राजम्मा , स्वर्गीय वीरभद्रैया की पत्नी
16	179/3	शुष्क भूमि	कृषि	0-08 जी	0.0809	रत्नम्मा, सिद्धलिंगप्पा की पत्नी
17	179/5	शुष्क भूमि	कृषि	0-02 जी	0.0202	सी.एल. बसवराजु ,लिंगप्पा के पुत्र
18	181/5	शुष्क भूमि	कृषि	0-01 जी	0.0101	अंकाइयाह , गवारेगौड़ा के पुत्र
19	182/1	शुष्क भूमि	कृषि	0-3 ¾ जी	0.0379	महादेवैया ,कुमारगौड़ा के पुत्र
20	182/4	शुष्क भूमि	कृषि	0-08 जी	0.0809	बिलिगिरि, हच्चनकुलनमालेया के पुत्र
21	182/7	शुष्क भूमि	कृषि	0-05 जी	0.0505	नागप्पा , स्वर्गीय लिंगप्पा के पुत्र
22	182/9	शुष्क भूमि	कृषि	0-17 जी	0.1720	महादेवप्पा, स्वर्गीय लिंगप्पा के पुत्र

अमूर्त

गांव का नाम	ए-जी	क्षेत्रफल (हेक में)
चिक्का कवलंदे	06 ए- 31.25 जी	2.7450

[फा. सं. W.271/सीएन/बीएनसी /2026-27/भूमि एसआरपी /1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 13th July, 2026

S.O. 3829(E).— Whereas by the notification of the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment) S.O.721(E), dated 11.02.2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989) (herein referred to as the said act) the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment declare its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for "Construction of proposed New Crossing station at Kavalande Halt Station between Nanjangud – Chamarajanagara Stations on Mysuru-Chamarajanagara section" in the district of Mandya in the state of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Prajavani and Janamitra dated: 11-03-2026; under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989. And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 2, clause 20D, considered and settled the same appropriately.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project for Proposed New Crossing Station at Kavalande Halt Station between Nanjangud – Chamarajanagara Stations on Mysuru-Chamarajanagara Section.

VILLAGE: CHIKKAKAVALANDE	**HOBLI: DODDAKAVALANDE**
TALUK: NANJANGUD	**DISTRICT: MYSURU**

Sl. No	Sy. No	Type of land	Nature of land	Extent of Acquisition (A-G)	Extent in Hectares	Beneficiary Names
1	161/1A	Dry Land	Agriculture	0-13G	0.1316	Nagalambike W/o Mahadevaswamy and others
2	161/1B	Dry Land	Agriculture	0-15G	0.1518	Mahesh S/o Late Mallappa K S
3	161/2B	Dry Land	Agriculture	0-13G	0.1316	Mahadevayya S/o Late Mallikarjunaiah and others
4	161/3	Dry Land	Agriculture	0-17G	0.1720	Sikandar khan S/o Late Ahmed Khan
5	162/1	Dry Land	Agriculture	0-32G	0.3238	Mahadevamma W/o Mallappa Siddappa S/o Mallappa
6	162/2	Dry Land	Agriculture	0-13G	0.1316	Sikandar khan S/o Late Ahmed Khan
7	162/4	Dry Land	Agriculture	0-11G	0.1113	Sikandar khan S/o Late Ahmed Khan
8	162/5	Dry Land	Agriculture	0-10G	0.1012	Puttathayamma W/o Late.P.Kanthraj Deepagopi S/o Late Kanthraj Mohan.M.K S/o Late Kanthraj Shamitha.S D/o Late.Bhaskar.K
9	164	Dry Land	Agriculture	0.01G	0.0101	Mansoor Hussain S/o Late Latif
10	165/3	Dry Land	Agriculture	0-18G	0.1822	Madaiah S/o Puttayya
11	165/2	Dry Land	Agriculture	0-14G	0.1416	Basava s/o Maneyabilu
12	165/4	Dry Land	Agriculture	0-25G	0.2530	Nanja S/o Kattemada

13	165/7	Dry Land	Agriculture	0-13G	0.1316	Mahadevayya S/o Devaharasayya
14	166/1	Dry Land	Agriculture	0-01 1/2G	0.0151	Karimallayya s/o Mallayya
15	178	Dry Land	Agriculture	0-30G	0.3035	Puttamadamma W/o Late Puttamadayya Rajamma W/o Late Veerabhadraiah
16	179/3	Dry Land	Agriculture	0-08G	0.0809	Rathnamma W/o Siddalingappa
17	179/5	Dry Land	Agriculture	0-02G	0.0202	C.L.Basavaraju S/o Lingappa
18	181/5	Dry Land	Agriculture	0-01G	0.0101	Ankaiah S/o Gavaregowda
19	182/1	Dry Land	Agriculture	0-3 3/4G	0.0379	Mahadevaiah S/o Kumaregowda
20	182/4	Dry Land	Agriculture	0-08G	0.0809	Biligiri S/o Hucchanakullanamaleya
21	182/7	Dry Land	Agriculture	0-05G	0.0505	Nagappa S/o Late Lingappa
22	182/9	Dry Land	Agriculture	0-17G	0.1720	Mahadevappa S/o Late Lingappa

ABSTRACT

Name of the Village	Acre-Guntas	Area in Hectare
Chikkakavalande	**06A-31.25G**	**2.7450**

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/172]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III, Construction

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.